अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना** में **प्रस्तावित कार्य**– 501 है0 वनीकरण कार्यो, 1530 धनमी0 भूमि संरक्षण कार्य व **स्वीकृति कार्य**– ग्राम मिरगपुर पांजुवाला व ग्राम कालूवाला पहाडीपुर में कालूवाला नदी पर बाढ/कटाव से बचाव हेतु साईडवाल निमार्ण कार्य तथा **उत्तर प्रदेश कैम्पा योजना** में **स्वीकृत** 30 है0 वनीकरण कार्य, खारा हरिद्वारी वन मार्ग पर 20मी0 काजवे निमार्ण कार्य में प्रयोग हेतु निम्न सामग्रीयो की आपूर्ति हेतु किसान/निजि पौधशालाओ/ निमार्ण इकाईयो/कम्पनियों/फर्मो से डबल बिड प्रकिया के अन्तर्गत तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड की मोहरबन्द निविदाये रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर तथा स्वयं के द्वारा **दिनांक 23.6.2014 की अपरान्हं 2.00 बजे तक** आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन 4.00 बजे अपरान्हं में सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म इस कांर्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बंजे तक दिनांक 22.6.2014 तक निंधारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते है। निविदा संबंधी जानकारी एवं शर्ते इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

क0 सं0	सामग्री का नाम एवं साईज	सामग्री अनुमानित मात्रा	बन्धक धनराशि	सामग्री आपूर्ति स्थल
1	2	3	4	5
1	4 फुट ऊचांई की दो वर्षीय थैली पौध प्रजाति–शीशम, सागौन, बांस, कंजू, नीम, अमलतास, बहेडा, आवलां आदि	पौध संख्या लगभग 1.09 लाख	0.15 लाख	34840पौध–बडकलानरसरी 37080पौध–खारा नरसरी 37080पौध–थापुल नरसरी
2	जी0आई0 बारबेड वायर–मानक टाइप ए–5 (13×4 गेज) एस0 डब्लयू0 जी0	21.24 मी0टन	0.30 लाख	बादशाहीबागरेंजपरि–6.84मी0टन मोहण्ड रेंज परिसर–7.2मी0टन शाकुम्भरी रेंजपरिसर–7.2मी0टन
3	यूकेलिप्टस के खम्बें, 1.85मीटर लम्बाई, 31–40 से0मी0 गोलाई	15399 नं0	0.22 लाख	बादशाहीबाग रेंज– 4959खम्बे मोहण्ड रेंज– 5220खम्बे शाकुम्भरीरेंज– 5220खम्बे
4	हॉट डिप गेलवेनाइज्ड एम0एस0 वायर, लाईट कोटेड, डायमीटर 3.15 एम0एम0	40.70 मी0टन	0.51 लाख	बादशाहीबाग– 6.00 मी0टन मोहण्ड रेंज– 8.70 मी0टन शाकुम्भरीरेंज– 26.00 मी0टन
5	सीमेंट बैग	366 बैग	0.03 लाख	मोहण्ड रेंज परिसर

टेण्डर की शर्ते निम्नानुसार है :–

1. उपरोक्त सामग्रीयो की आपूर्ति हेतु निविदा फार्म में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र सम्मिलित है जिसे अलग–अलग बन्द लिफाफो में भरकरं प्रस्तुत करना होगा तथा इन लिफाफों पर स्पष्ट रुप से तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अंकित होना चाहिये। दोनों सील बन्द लिफाफो को पुनः एक अन्य लिफाफे में बन्द कर इस कार्यालय को दिनांक 23.6.2014 तक अपरान्हं 2 बजे तक रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर तथा स्वयं के द्वारा प्रेषित करना होगा। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रुप से, जिस सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा दी जा रही है, उस निविदा सामग्री का नाम अंकित करना होगा। प्रत्येक सामग्री की आपूर्ति हेतु अलग अलग निविदा देनी होगी। उपरोक्त अंकित दिनांक एवं समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा दर के ऊपर सेलोटेप चिपकाया जाना अनिवार्य होगा तथा निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग न की जाये अन्यथा प्राप्त निविदा दरों को मान्य नही किया जायेगा।

2. निविदादाता को तकनीकी बिड में निम्नलिखित अभिप्रमाणित प्रपत्रों को संलग्न करना अनिवार्य होगा– उधोग विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र, फर्म का वैट/टिन नम्बर प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नं0, अन्तिम तीन वर्ष की आयकर विवरणी एवं आडिटेड बैलेन्स शीट, जिले के एस0एस0पी0 द्वारा पुलिस क्लियरेंस

प्रमाण पत्र, जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र व आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नमूना।

3. टैण्डर दाता द्वारा टैण्डर में दिया गया मूल्य अनुमोदित होनें पर दिनांक 31.03.2015 तक के लिये मान्य रहेगा, तथा वह फर्म उसी अनुमोदित दरों पर दि0 31.03.15 तक उक्त सामग्री की आपूर्ति करने के लिये बाध्य होगी।

4. टैण्डर दाता को टेण्डर के साथ बन्धक धनराशि संलग्न करनी अनिवार्य होगी, जो अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से बन्धक हो, बिना बन्धक धनराशि के टेण्डर पर कोई विचार नही किया जायेगा।

5. आपूर्ति की जाने वाली सामाग्री उच्च गुणवत्ता एवं निर्धारित मानको के अनुरूप होनी चाहिए, सामाग्री के मानको के अनुरूप न पाये जाने पर उसे स्वीकार नही किया जायेगा तथा निविदा दाता की बन्धक/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6. टैण्डर स्वीकृत होने के पश्चात कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर पौध की आपूर्ति तथा 15 दिन के अन्दर अन्य सामग्रीयो की शत प्रतिशत आपूर्ति करनी होगी।

7. टेण्डर दाता को टेण्डर के साथ अपनी फर्म का व्यापार /आयकर रजिस्ट्रेशन संख्या एवं कर निर्धारण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

8. आयकर, स्टाम्प फीसं, व्यापार कर की, वर्तमान प्रचलित दरों के अनुसार नियमानुसार, कटौती की जायेगी।
9. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी टैण्डर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
10. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा घट बढ सकती हैं।
11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त; सहारनपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
12. यदि टेण्डर खुलने के दिनांक को अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर टैण्डर खोला जायेगा।
13. किसी भी निविदा दाता की निविदा स्वीकृत होने के बाद यदि संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति, माफिया गतिविधि असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

14. यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा सम्भावित निविदा दाता को धमकी दी गई हो अथवा उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं टैण्डर डालने से रोका गया हो तो ऐसे अनुबन्ध को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
15. ठेकेदार को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निहित प्रतिबन्धों के साथ कार्य क्षेत्र निकटतम रोड हेड तक ढुलान करना होगा।

16. निर्धारित मानक गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुये रेट कान्ट्रेक्ट/डी0जी0एस0एन्ड डी0 रेट से संबंधित फर्मो को वरीयता दी जायेगी।
17. निविदा दर समस्त करो एंव एफ0ओ0आर0 सहित देनी होगी तथा उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा फार्म के साथ सलंग्न विशिष्टियो के आगे अपनी दरें अंकित करंनी होगी।
18. सर्शत निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(राम राज गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
शिवालिक वन प्रभाग,
सहारनपुर।